विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 1 मई, 2008 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौबीसवीं (24वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 1 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। **प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।**

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 453 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 214 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित एसईजेड में 67737 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है। अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के लागू होने के बाद एसईजेड में सृजित कुल वृद्धि मूलक रोजगार 1.76 लाख व्यक्तियों के लिए है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 2007-08 में एसईजेड से भौतिक निर्यात का मूल्य 64623 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 87 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2008-09 के लिए 1,24,683 करोड़ रुपए का निर्यात होने का अनुमान है।

3. वाणिज्य सचिव ने अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया कि गोवा में एसईजेड के संबंध में 25 फरवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि तीन अधिसूचित एसईजेड के संबंध में विकासकों तथा गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों को 30 मई 2008 को चर्चा के लिए बुलाया गया। चर्चा के दौरान गोवा के मुख्य सचिव ने राय व्यक्त की कि गोवा सरकार अपने इस दृष्टिकोण पर अडिग है कि राज्य के संसाधनों जैसे कि विद्युत, पानी, अवसंरचना पर अनुचित दबाव को ध्यान में रखते हुए अनुपातिक लाभों के बगैर तथा गोवा में बड़े पैमाने पर लोगों के अनुमानित पलायन को ध्यान में रखते हुए एसईजेड की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4. वाणिज्य सचिव ने यह भी सूचित किया कि अधिसूचित एसईजेड के तीन विकासकों में से 2 अर्थात मैसर्स मेडीटैब स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स के रहेजा कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10 जनवरी 2008 जिसमें उनको काम रोकने का निदेश दिया गया है, के विरुद्ध बांबे उच्च न्यायालय में अलग से रिट याचिकाएं दाखिल की हैं। मैसर्स मेडीटैब स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका की सुनवाई में निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 मार्च 2008 पारित किया गया।

i. आदेश दिनांक 10 जनवरी 2008 पारित होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सच में केन्द्र सरकार सहित संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अभिवेदन दाखिल किया है।

ii. आदेश दिनांक 10 जनवरी 2008 में सचिव, उद्योग, गोवा ने याचिकाकर्ताओं को अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन तथा भारत सरकार द्वारा जारी की गई के अनुसरण में

तब तक ग्राउंड पर आगे कोई कार्य न करने का भी निदेश दिया है जब तक कि भारत सरकार के परामर्श से मामले का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो जाता है। स्पष्ट है कि भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकार से अंतिम निर्णय लेने तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए अभिवेदन का निस्तारण करने की अपेक्षा है। उम्मीद है कि संबंधित प्राधिकारी शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे और याचिकाकर्ताओं को अनुचित कठिनाइयों में नहीं डालेंगे।

iii. उपर्युक्त प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम मामले का निस्तारण करने तथा आज से 6 सप्ताह के अंदर अंतिम दृष्टिकोण अपनाने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को निदेश देते हुए इस याचिका का निस्तारण करते हैं। उनके विरुद्ध पारित किए गए प्रतिकूल आदेश की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को न्यायालय में जाने की छूट होगी। देने के लिए कोई आदेश नहीं है।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(क) औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के मामले में संबंधित विकासकों को 4 जून 2008 को होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निजी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

(ख) तीन अधिसूचित एसईजेड के मामले में जारी की गई अधिसूचनाओं को वापस लेना संभव नहीं होगा क्योंकि इनमें भारी निवेश किया जा चुका है / प्रतिबद्धता की गई है तथा विकासकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा दावा किए गए कर लाभों को लौटाने का मुद्दा भी उठेगा। उनके पत्र दिनांक 7 जनवरी 2008 के जवाब में गोवा सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया जा सकता है। गोवा सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से अग्रेतर उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. सर्वे नंबर 656ए, 656एए, आदित्य नगर, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 656ए, 656एए, आदित्य नगर, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रस्ताव में इस बात का विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए कि किस प्रकार की भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है अर्थात भूमि बंजर है, एकफसली है या दोहरी फसल वाली है। इसके जवाब में अध्यक्ष ने सूचित किया कि इस सुझाव को लागू करने के लिए एसईजेड नियमावली में उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है वह बंजर भूमि है तथा पिछले 5 वर्षों से उस पर खेती नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नायडूपेट मंडल नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम टडकनपल्ली, कुर्नूल देहात, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रागमयूरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने टडकनपल्ली, गांव, कुर्नूल देहात, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राग मयूरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. प्लाट नंबर 2, सेक्टर 140, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मैक्स डिगी इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 2, सेक्टर 140, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मैक्स डिगी इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. प्लाट नंबर 5, सेक्टर -144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आईवीआर प्राइम आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 5, सेक्टर 144ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आईवीआर प्राइम आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. दुर्गापुर, बिधाननगर टाउनशिप (भारत के एसटीपी के नजदीक), पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दुर्गापुर, बिधाननगर टाउनशिप (भारत के एसटीपी के नजदीक), पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बंगाल शपूरजी इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, पुणे, महाराष्ट्र में 11.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अब राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, पुणे, महाराष्ट्र में 11.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। पिछले मंजूरी पत्र जो 24 हेक्टेयर के लिए जारी किया गया था, के माध्यम से औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल में उपयुक्त ढंग से कटौती करने का भी निर्णय लिया गया।

9. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 18) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. बीएआईएल एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में 113 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने एसईजेड के अंदर संचालित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार का ब्यौरा जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने राय व्यक्त की कि एसईजेड के अंदर किसी एयरपोर्ट आधारित गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति देने का निदेश दिया।

2. प्लाट नंबर 8, सेक्टर 144, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :
अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। चूंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम पडघावली, तालुक सुधागढ़, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 17.227 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रामेश्वर वैभव डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि कंपनी के निदेशक के नाम में है। चूंकि भूमि पर विकासक का स्वामित्व एवं कब्जा नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. एपी पथार्डी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 19.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा स्वीकृति प्रदान नहीं की है। चूंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. सर्वे नंबर 17-19 (भाग), मौजे पूनावाले गांव, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि पर विकासक का स्पष्ट स्वामित्व एवं कब्जा नहीं है। सड़क के लिए नगर निगम द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली 0.82 हेक्टेयर भूमि के मुद्दे पर भी इस संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है कि क्या इससे सन्निकटता भंग होगी या नहीं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम कुरकालपट्टनम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लिमिटलेस प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था क्योंकि नाम और लोगो के उल्लंघन के संबंध में दुबई आधारित एक कंपनी से शिकायत प्राप्त हुई थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि दुबई आधारित कंपनी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि विकासक अब नाम 'लिमिटलेस' छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। विधि विभाग को भी संदर्भ भेजा गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को यह निदेश देते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि नाम में परिवर्तन के बाद वे नया आवेदन कर सकते हैं।

7. ग्राम गंगेहरा, डाकघर भर्छा 232101, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 11.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मैक्स प्रोटो इंफोसिस लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। चूंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 23.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कब्जा है और स्वामित्व ग्रुप की कंपनियों के नाम में है। चूंकि भूमि पर विकासक कंपनी का स्वामित्व एवं कब्जा नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

9. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 12.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कब्जा है और स्वामित्व ग्रुप की कंपनियों के नाम में है। चूंकि भूमि पर विकासक कंपनी का स्वामित्व एवं कब्जा नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

10. गोरई - मनोरी - उत्तान क्षेत्र, मुबई, महाराष्ट्र में 358.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्सेल इनफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में पैन इंडिया प्रयत्न लिमिटेड) द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

विकासक ने प्रस्ताव पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सन्निकटता, भूमि पर विकासक का कब्जा तथा एसईजेड के प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियों के प्रकार के संबंध में प्रस्ताव पर और स्पष्टता की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति देने का निदेश दिया।

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मैसर्स यूनिटेक हाईटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पार्सले डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया और तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि उपयुक्त निर्णय के लिए मौजूदा मुंद्रा पोर्ट के एसईजेड का हिस्सा होने से संबंधित मुद्दे को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के समक्ष रखा गया है। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंपीजार लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि उपयुक्त निर्णय के लिए मौजूदा मुंद्रा पोर्ट के एसईजेड का हिस्सा होने से संबंधित मुद्दे को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के समक्ष रखा गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुदगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुदगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि सह विकासक करार के अनुसार सह विकासक ने एसईजेड में यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है परंतु वह सह विकासक के स्टेटस का दावा करना चाहता है। इसके अलावा, पट्टा विलेख में पट्टा करार की अवधि समाप्त हो जाने पर भूमि के तुरंत क्रय का

विकल्प प्रदान किया गया है जो एसईजेड नियमावली के अनुसार अनुमत नहीं है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करने के लिए स्पष्टीकरणों के साथ संशोधित करार प्रस्तुत किया जाए।

(vi) एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि संगम ज्ञापन में एसईजेड में सह विकासक द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों का प्रावधान होना चाहिए।

(vii) विलानकुरिची, कोयंबटूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टिडेल पार्क कोयंबटूर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलानकुरिची, कोयंबटूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टिडेल पार्क कोयंबटूर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) मैसर्स सिटी गोल्ड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेस्टोन प्रीमाइसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था क्योंकि करार में संपूर्ण जिम्मेदारी को विकासक से सह विकासक को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। सह विकासक और विकासक के प्रतिनिधि इस संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर सके। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि संशोधित सह विकासक करार प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सके।

(ix) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने (ix) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(x) आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में मैसर्स लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवा क्षेत्र एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था क्योंकि 30 साल के पट्टा करार में 'शाश्वत' शब्द स्पष्ट नहीं है। विकासक और सह विकासक के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने वाणिज्य विभाग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जो पट्टा करार से 'शाश्वत' शब्द हटाने के लिए उनकी सहमति प्रदान करता है। तथापि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक द्वारा उपर्युक्त संदिग्धता को दूर करते हुए संशोधित पट्टा करार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करने के लिए संशोधित करार प्रस्तुत किया जाए।

(xi) कुसुमागिरि, कक्कानाड गांव, एर्नाकुलम, केरल में इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पट्टा पर भूमि देने की अवधि / नियमों पर निर्णय न होने के कारण 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। राजस्व विभाग ने कहा कि इस मुद्दे पर विधि एवं राय मंत्रालय की लिखित रूप में विशिष्ट राय अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि पहले इस मुद्दे पर विधि एवं न्याय मंत्रालय की विशिष्ट राय प्राप्त की जाए।

(xii) वल्लारपदम, कोचीन, केरल में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के अनुरोध पर अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया था।

(xiii) मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था क्योंकि अधिसूचना के समय 1.13 एकड़ की भूमि पर विकासक के विधिक कब्जे पर संदेह व्यक्त किया गया था। विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने पुष्टि की कि अधिसूचना के समय भूमि पर विकासक का कानूनी कब्जा था और भू-राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र अधिसूचना के समय विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xiv) मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डब्ल्यूडीसी टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने कहा कि सह विकासक करार के नियम स्पष्ट नहीं हैं तथा पट्टा करार भी प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xv) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास करार फोरम प्रोजेक्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और विकासक के बीच है, जबकि सह विकासक के स्टेटस के लिए आवेदन फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। विकासक एवं सह विकासक के प्रतिनिधियों को आवेदन / करार में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी गई ताकि समान संस्था जो सह विकासक करार का पक्ष है, सह विकासक के स्टेटस के लिए आवेदन करे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xvi) बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्टेक इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक की कंपनी का निवल मल्य ऋणात्मक है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में उनके बहु उत्पाद एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 28.93 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1537.15 हेक्टेयर हो जाएगा।

(ii) बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में उनके आईटी / आईटीईएस एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 2.312 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.673 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में 4583-37-10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उनके पहले से अधिसूचित / अनुमोदित बहु उत्पाद एसईजेड में 263-22-97 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि इसमें मौजूदा पोर्ट का कोई क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए।

(iv) अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स जायडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया।

मद संख्या 9 : तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एमएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड पर विचार करने तथा सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए भी मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। जहां तक सन्निकटता के मुद्दे का संबंध है, विकासक ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार अंडरपास और पुलिया का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित की जाएगी। सड़क के दोनों ओर उपयुक्त ढंग से फेंसिंग की जाएगी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीनसन्निकटता की शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. विकासक समर्पित सुरक्षा गेट / ओवर ब्रिज / अंडरपास के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करेंगे और 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंक फेंसिंग तथा 0.6 मीटर ऊंची कटीले तार की फेंसिंग से सड़क के दोनों ओर फेंसिंग भी करेंगे।
2. सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
3. संबंधित प्राधिकरणों जैसे कि एनएचएआई तथा अन्य द्वारा वाणिज्य विभाग को औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
4. किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

जहां तक मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड को विकासक का दर्जा प्रदान करने के अन्य मुद्दों का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि भूमि दो संस्थाओं के नाम में है। चूंकि भूमि विकासक के नाम में होनी चाहिए, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को पट्टा के रूप में संपूर्ण भूमि को अपने विधिक कब्जा एवं स्वामित्व में लेने की सलाह दी। विकल्प के तौर पर, एसपीवी का गठन किया जा सकता है तथा एसपीवी के नाम में भूमि ट्रांसफर की जा सकती है जो नए आवेदन के माध्यम से विकासक के स्टेटस के लिए आवेदन कर सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी।

समयाभाव के कारण मुख्य एजेंडा की मद संख्या 4 से 8 और मद संख्या 10 से 12 तथा पूरक एजेंडा की सभी मदों को आस्थगित कर दिया गया।